

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
प्रार्थना पत्र संख्या :-/05/2025 दिनांक 22/5/25

अनवान

2025/272

नन्द किशोर मिश्र अंतराला लाल वर्मा
बिगली इलीमगरा ल० वेडें प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम
नाथी चंद्र पति लाल लाल जटिया वर्मा
बिगली सोडशनपुरा ल० वेडें विपक्षी / विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करनेः

न्यायालय में अधिवक्ता श्री V.P. शर्मा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृपि आराजी मौजा सोडशनपुरा पटवार हल्का देवलपुरा की आराजी संख्या 728/87 कुल कीता-01 कुल रकवा 0.8400 कृपि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृपि आराजी मौजा सोडशनपुरा पटवार हल्का देवलपुरा की आराजी संख्या 728/87 कुल कीता-01 कुल रकवा 0.8400 भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
कीता- (3)

my
उपखण्ड अधिकारी, वेगूं
जिला चितौडगढ़(राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 354
प्रार्थना पत्र संख्या / 05/25 व अनवान नन्द किशोर मिश्र अंतराला लाल वर्मा प्रार्थना पत्र अ०धा० 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

नोट- अगर किसी प्रकार का विवाद होवे, अपनी रिप्ली व पत्थरगढी शुल्क देकर सोडशनपुरा में पत्थरगढी करवावें।

my
उपखण्ड अधिकारी, वेगूं
जिला चितौडगढ़(राज.)